न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

यु.नं. 09/2019

निर्णय दिनांक 19.03.2019

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का 3 एल.के.डी (बी) तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर

प्रार्थी

बनाम

त्रिलोचन सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति जटसिक्ख साकिन चक 4 एल.के.डी(ए) तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर

अप्रार्थी

अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22

-निर्णय-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का 3 एल.के.डी (बी) ने दिनांक 28.02.2019 को रिपोर्ट मय प्रपत्र पी.14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी त्रिलोचन सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति जटसिक्ख साकिन चक 4 एल.के.डी(ए) तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर ने चक 4 एल.के.डी (ए) के मु0न0 225/1 के कि0न0 20 = 0.18, 21 ता 25 = 5.00 कुल 5.18 बीघा क0/अ0क0 राजकीय भूमि पर कृषि सम्वत् 2075 फसल रबी में अतिक्रमण कर सरसो की फसल काश्त कर ली है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को दिनांक 19.03.2019 को अपना पक्ष/जवाब प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस अप्रार्थी के पुत्र मन्दीप सिंह द्वारा तामिल किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली दिनांक 19.03.2019 को पेशी में ली गई। अप्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थी के पुत्र मन्दीप सिंह ने उपस्थित होकर जवाबमय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, कि सीमा का वास्तविक ज्ञान नही होने के कारण भूलवंश राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है।

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कोई व्यक्ति उपनिवेशन क्षेत्र में बिना किसी विधिक अधिकार के किसी भूमि पर काबिज होने अथवा लगातार काबिज रहने की स्थिति मे अतिक्रमी माना जावेगा तथा उसे इस धारा के प्रावधानो के तहत तहसीलदार द्वारा बेदखल किया जावेगा। ऐसा अतिक्रमी 50 गुना लगान की शास्ति तक दण्ड का भागी व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की दशा में 3 माह के सिविल कारावास का भागी होगा।

अतः प्रकरण मे अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कार्यवाही अमल मे लाई जाकर भू-राजस्व का 50 गुना 130/-अक्षरे एक सौ तीस रूपये शास्ति आरोपित कर बेदखली के आदेश पारित किये जाते है। भू.अ.निरीक्षक सतासर को आदेशित किया जाता है कि मौके पर खडी फसल को कुर्क कर, कुर्कशुदा फसल को निलाम कर निलामी की कार्यवाही कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करे। बाद अनुमोदन निलामी राशि राजकोष मे जमा करावे।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को वसूली एवं मौके से बेदखली/कब्जा भूमि बहक सरकार लेने बाबत बाबत लिखा जावे। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार जाखड)
तहसीलदार(राजस्व)
छतरगढ़
तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी
छतरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner